



2026:AHC:130809

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत संख्या

5227 सन् 2026

मुकीम

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता	:	एम.पी.एस. चौहान
विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-प्रथम

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 92 सन् 2026, धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 125, 352, 109(1), 351(3) बी.एन.एस. तथा आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत, थाना रोरावर, जनपद अलीगढ़ में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक को दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अभियोजन द्वारा लगाए गए आरोपों में से कोई भी आरोप आवेदक के विरुद्ध सिद्ध नहीं होता। उन्होंने तर्क दिया कि कथित तिथि एवं समय पर ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उनके अनुसार, कुछ अज्ञात व्यक्ति आपस में झगड़ रहे थे और पुलिस के मौके पर पहुंचने पर वे घटनास्थल से भाग गए। आगे प्रस्तुत किया गया कि विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने आवेदक से शत्रुता रखने वाले कुछ व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त अबरार को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत संख्या 4767 सन् 2026 में पारित दिनांक 25.05.2026 के आदेश द्वारा पहले ही अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का पांच मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसकी विधिवत व्याख्या शपथपत्र के अनुच्छेद संख्या 12 में की गई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और विवेचना एजेंसी अथवा न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित होगा, उपस्थित होगा। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया।
5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, जो (2011) 1 एस.सी.सी. 694 में प्रतिवेदित है** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत पर निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से भाग जाने की संभावना पर विचार करना चाहिए तथा न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
6. वर्तमान मामले में अग्रिम जमानत के संबंध में स्थापित विधि के सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा मामले के सभी संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का मामला बनता है।
7. अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक-मुकीम की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक, संबंधित थाने के थाना प्रभारी की संतुष्टि के लिए ₹50,000/- का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) आवेदक जब भी अपेक्षित हो, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह/वे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाएं;

(iii) आवेदक विवेचना के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विवेचक/अभियोजन को आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत को निरस्त किए जाने हेतु उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(देवेन्द्र सिंह-प्रथम, न्यायमूर्ति)

25 जून, 2026

संजीत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।